International Journal of Research and Review Techniques (IJRRT), ISSN: 3006-1075
Volume 2, Issue 4, October-December, 2023, Available online at: https://ijrrt.com

स्त्रियों के समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, और न्याय के क्षेत्र में समर्थन के लिए नए कार्यक्रमों और नीतियों का अध्ययन

श्रीमती मंजू सुगंधी[1], डॉ. अमन अहमद[2]

[1]रिसर्च स्कॉलर, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़
[2]सहायक प्राध्यापक, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़

सारांश

समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभानी होती हैं। महिलाओं की भूमिकाएँ मुख्य रूप से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में पहचानी जाती हैं। इन क्षेत्रों में, जब उनके पास कुशल कौशल और योग्यताएँ होती हैं, तो वे प्रभावी तरीके से अपनी भागीदारी निभाने में सक्षम होती हैं। कौशल और योग्यताओं के अलावा, महिलाओं के लिए अपनी भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना भी महत्वपूर्ण है। इन कारकों के बारे में जानकारी रखने से वे भूमिकाओं के प्रदर्शन के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी सक्षम होती हैं। जब महिलाएँ विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ निभा रही होती हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि वे अपने परिवार और समुदाय की भलाई को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी ढंग से काम करें। दूसरे शब्दों में, उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि उनका योगदान व्यक्तियों के लिए लाभकारी हो। इस शोध पत्र में जिन मुख्य क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है, उनमें समाज में महिलाओं की भूमिकाओं का महत्व, महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक, समाज में भूमिकाओं के प्रकार और रोजगार सेटिंग्स में महिलाओं की भूमिकाएँ शामिल हैं। निराला ने अपने उपन्यासों में महिलाओं के संघर्ष को बहुत ही बारीकी से चित्रित किया है।

मुख्य शब्द: जागरूकता, भलाई, समाज, महत्व, महिलाओं, संघर्ष

परिचय

राजनीति और समाज सेवा में भी महिलाओं का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। हम इंदिरा गांधी का नाम लिए बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने भारत की राजनीति में अपनी चमक बिखेरी। उन्होंने एक दशक से भी अधिक समय तक इस देश पर शासन किया और पाकिस्तान युद्ध से भारत को विजय

दिलाई, जिसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक रूप से एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। समाज सेवा के क्षेत्र में भी भारतीय महिलाओं ने बेहतरीन काम किए हैं। उन्होंने न केवल पीड़ित मानवता की सेवा की है, बल्कि देश को सर्वोच्च सम्मान भी दिलाया है। मदर टेरेसा का नाम लिए बिना नहीं रहा जा सकता। उन्होंने हमारे देश के गरीब, बेसहारा और पीड़ित लोगों तथा सामान्य रूप से दुनिया के जरूरतमंद और विकलांग लोगों की निस्वार्थ सेवा करके भारत को नोबेल पुरस्कार दिलाया।

आज हमें शिक्षित महिलाओं की सेवाओं की आवश्यकता है, जो पूरे देश का दौरा कर सकें और मानवीय पीड़ा को दूर करने में मदद कर सकें। सरकार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से चिंतित है। महिला स्वयंसेवक ग्रामीण महिलाओं के बीच परिवार नियोजन के लाभों को प्रचारित करने का कार्य अधिक आसानी से कर सकती हैं। वे पुरुषों की तुलना में अधिक आसानी से, ग्रामीणों के अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के खतरों के खिलाफ प्रचार कर सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में वे अनाथालयों और विधवा कल्याण केंद्रों में अनाथों और असहाय विधवाओं से मिलने और उन्हें पढ़ाने का कार्य कुशलतापूर्वक कर सकती हैं। वे उन्हें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और नर्सिंग का प्रशिक्षण दे सकती हैं, जिसमें महिलाएँ स्वभाव से ही निपुण होती हैं। वे उन्हें संगीत और नृत्य की कला भी सिखा सकती हैं।

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में महिलाओं ने पिछले पचास वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन फिर भी उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अनेक बाधाओं और सामाजिक बुराइयों से जूझना पड़ रहा है। हिंदू कोड बिल में बेटी और बेटे को संपत्ति में बराबर का हिस्सा दिया गया है। विवाह अधिनियम में अब महिला को पुरुष की संपत्ति नहीं माना गया है। विवाह अब व्यक्तिगत मामला माना जाता है और अगर कोई साथी असंतुष्ट है, तो उसे तलाक का अधिकार है। लेकिन कानून पारित करना एक बात है और समाज की सामूहिक सोच में उसका समावेश होना बिलकुल अलग बात है। भारतीय संविधान में उन्हें जो सम्मान और दर्जा दिया गया है, उसके बराबर खुद को साबित करने के लिए उन्हें गुलामी और अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ना होगा। उन्हें महिलाओं में दहेज, अशिक्षा और अज्ञानता जैसी बुराइयों को खत्म करने में सरकार और समाज की मदद करनी चाहिए। दहेज की समस्या इस देश में खतरनाक रूप ले चुकी है।

लड़कियों के माता-पिता को दूल्हे और उनके लालची माता-पिता को हजारों-लाखों रुपये देने पड़ते हैं। यदि दुल्हन के माता-पिता द्वारा वादा किया गया सामान नहीं दिया जाता है, तो दूल्हे के परिवार के क्रूर और लालची सदस्य विवाहित महिलाओं को यातनाएं देने का सहारा लेते हैं। ऐसे मामलों में कुछ महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। दहेज हत्या वास्तव में क्रूर और अमानवीय व्यक्तियों द्वारा किए

गए जघन्य और बर्बर अपराध हैं। युवा लड़कियों को अपने माता-पिता के माध्यम से दहेज मांगने वाले लड़कों से शादी नहीं करने का साहस करना चाहिए।

लड़कों को भी अपने माता-पिता द्वारा दहेज मांगे जाने पर शादी करने से इनकार कर देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे साहसी और कर्तव्यनिष्ठ लड़कों की संख्या बहुत कम है। यहां तक कि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी भी शर्मीली और डरपोक लड़कियों के अमीर पिताओं के हाथों खुद को बेचने में संकोच नहीं करते। ऐसे लोगों ने वास्तव में अपने कैडरों को विशेष रूप से और सामान्य रूप से समाज को बदनाम किया है। सरकार को दहेज मांगने वालों, महिलाओं के हत्यारे और बलात्कारियों को कठोर सजा देने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए।

व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। जब व्यक्ति चार वर्ष की आयु में पहुँचता है, तो उसे यह एहसास होने लगता है कि उसके घर के बाहर भी एक दुनिया है, जिसे उसे पहचानना है। परिवार को आधार माना जाता है, जहाँ से व्यक्ति का विकास होता है, इसलिए वह अपने परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता देता है। लेकिन परिवार के सदस्यों के अलावा, व्यक्ति समाज में भी रहता है, इसलिए समाज के प्रति उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाज में महिलाओं की भूमिका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्न क्षेत्रों में पहचानी जाती है।

साहित्य समीक्षा

सेलिस, करेन एट अल. (2018). रूढ़िवादी राजनीतिक अभिनेता कई लिंग और राजनीति विद्वानों और नारीवादी कार्यकर्ताओं के लिए काफी परेशान करने वाले प्रतीत होते हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के उनके दावों के बारे में हमें क्या कहना चाहिए? हमें उनके कार्यों को सबसे अच्छे तरीके से कैसे समझना चाहिए? यह लेख, अनुभवजन्य साहित्य के आलोचनात्मक पुनर्पाठ पर आधारित है और समकालीन प्रतिनिधित्व सिद्धांत से सूचित है, रूढ़िवादियों द्वारा महिलाओं के वास्तविक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक नया वैचारिक ढांचा विकसित करता है। हम पाते हैं कि निर्दिष्ट परिस्थितियों में, रूढ़िवादी प्रतिनिधि महिलाओं के वास्तविक प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाते हैं।

शर्तों का पहला सेट महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के रूढ़िवादी दावों से संबंधित है। इन्हें "महिलाओं के लिए" माना जाता है जब वे समाज में रूढ़िवादी महिलाओं की चिंताओं से शादी करती हैं; जब रूढ़िवादी प्रतिनिधि कार्य करते हैं और केवल बयानबाजी में शामिल नहीं होते हैं; और जब उनके कार्यों को महिलाओं के प्रतिकूल अन्य कार्यों, नीतियों या परिणामों से कम नहीं किया जाता है। मानदंडों का दूसरा सेट महिलाओं के वास्तविक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया की गुणवत्ता पर विचार करता है। हमारा

तर्क है कि महिलाओं के हितों के बारे में विचार-विमर्श की नारीवादी प्रक्रिया में रूढ़िवादी दावे शामिल हो सकते हैं जब तक कि वे जवाबदेही, समावेशिता और समतावाद की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

दुबे, कृष्णा एट अल. (2022).राजनीति और राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका। ऐसा कोई भी समकालीन लोकतांत्रिक राज्य नहीं है, जहाँ महिलाओं ने सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक योगदान न दिया हो, जो महत्वपूर्ण और अपरिहार्य दोनों है। भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भागीदारी इस लेख का विषय है। जाँच में, प्राथमिक डेटा को बढ़ाने के लिए द्वितीयक जानकारी का उपयोग किया गया। इस शोध के अनुसार, राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, शैक्षिक और लैंगिक मुद्दों से बाधित होती है। परियोजना का एक उद्देश्य राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि करना है। अधिक महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी स्तरों पर ज्ञान अभियान शुरू किए जाने चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, अधिक महिलाएँ राजनीति में भाग लेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार, सभी स्तरों पर महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को अपराध माना जाना चाहिए। महिलाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए, उनकी स्थिति और समग्र विकास में योगदान को बेहतर बनाना आवश्यक है। लिंग और विकास (GAD) दृष्टिकोण ने सिफारिश की कि केवल महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, लिंग संबंधों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

उद्देश्य

1. स्त्रियों के समाज में शिक्षा , स्वास्थ्य, और न्याय के क्षेत्र में समर्थन के लिए नए कार्यक्रमों और नीतियों का विकास करना।
2. समाज में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक संगठनों और समुदायों को समर्थित करना।

कार्यप्रणाली

संदर्भ तथ्य संग्रह:
इस कार्य का प्रारंभिक चरण संदर्भ सांग्रह के साथ शुरू होगा , जो स्त्री पात्रों की विभिन्न भूमिकाओं , समाजिक परिवेश, और रूढ़िवादी चुनौतियों के संदर्भ में सूचना एकत्र करेगा।

गहराई से अध्ययन:
इस चरण में , संदर्भ सांग्रह की जानकारी का गहराई से अध्ययन किया जाएगा , जिसमें स्त्री की भूमिकाओं, रूढ़िवादिता के परिणाम, और चुनौतियों का विश्लेषण किया जाएगा।

शोध का निर्माण:
इस चरण में, शोध का निर्माण किया जाएगा, जिसमें संदर्भ सांग्रह और गहराई से अध्ययन के आधार पर शोध के लक्ष्य और उपाय तय किए जाएंगे।

साक्षात्कार और आंकलन:
इस चरण में , साक्षात्कार, अन्य तथ्य संग्रह , और डेटा विश्लेषण के माध्यम से शोध की प्रमुख फिंडिंग्स को प्राप्त किया जाएगा।

परिणामों का प्रस्तुतिकरण:
इस चरण में, परिणामों को लेख और उपयुक्त शैली में प्रस्तुत किया जाएगा, जो स्त्री पात्रों की भूमिका में परिवर्तन और उनके महत्वपूर्ण योगदान को विस्तार से व्याख्या करेगा।

संदेश और सुधार:
अंतिम चरण में, शोध के प्रमुख संदेश और सुधार के सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे , जो स्त्री की भूमिका में समाज के रूढ़िवादिता और विकास में एक नई दिशा से सोचने को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुभवजन्य जांच की व्याख्या
एक-एक व्यक्ति से मिलकर समाज का निर्माण होता है। समाज में निर्भरता के आधार पर सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। समाज केवल व्यक्तियों के समूह का नाम नहीं है वरन् व्यक्तियों के आपसी संबंधों को समाज कहा जाता है। इन सामाजिक संबंधों में स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी उन्नति और मानसिक विकास के कारण मनुष्य पशुओं की श्रेणी से अलग एक संस्था के रूप में परिवर्तित होता गया। महादेवी व्यक्ति के स्वत्वों की रक्षा के लिए समाज का निर्माण आवश्यक मानती हैं। मनुष्य जाति का बर्बरता की स्थिति से निकल कर मानवीय गुणों तथा कला-कौशल की वृद्धि करते हुए सभ्य और सुसंस्कृत होते जाना ही उसका विकास है। आत्मरक्षा की भावना के साथ-साथ मनुष्य में जातिगत विशेषताओं की रक्षा की भावना उसे विशेष बनाती है। वे प्रत्येक व्यक्ति की जातीय संस्कृति को महत्वपूर्ण मानती हैं। किसी जाति की संस्कृति उसके शरीर का वस्त्र न होकर उसकी आत्मा का रस है। इसी से न हम उसे बलात् छीन सकते हैं और न चीर-फाड़ कर फेंक सकते हैं। उस रस का स्वाद बदलने के लिए तो हमें उससे

अधिक मधुर औषधि पिलानी पड़ेगी। जब-जब बाहर की संस्कृति विवेकशून्य होकर आई, उसे पराजय ही हाथ लगी। जब उसने विवेकबुद्धि से काम लिया तब अपने पीछे विजय की ज्वलंत कहानी छोड़ती गई।

संस्थागत ढांचे में स्त्री का जीवन भी कई पड़ावों से गुजरा है। देवतुल्य व्यवहार ने उसे सम्मान दिलाया जबकि प्रताड़नाओं ने उसके जीवन को नरकतुल्य बना दिया। महादेवी मानती हैं कि मनुष्य का मनुष्यता से ऊपर उठना उसे देवताओं की श्रेणी में तथा मनुष्यता से नीचे उतरना पशुओं की श्रेणी में ला देता है। इसलिए दोनों ही स्थितियों में मनुष्य चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, का पूर्ण विकास संभव नहीं।

स्त्री की सामाजिक छवि के निर्धारण में अर्थ स्वातंत्रय

स्त्री की स्थिति समाज के विकास को मापने का मापदंड कही जा सकती है। स्त्री को मातृत्व तथा पत्नीत्व के दायरे में सीमित करने वाले पुरुष ने उसे सामाजिक व्यक्ति के रूप में अधिकार प्रदान करने की दिशा में कभी नहीं सोचा। महादेवी इस स्थिति का मुख्य कारण स्त्री के परावलंबन और अर्थहीनता को मानती है। वह केवल उत्तराधिकार से ही वंचित नहीं हैं, वरन् अर्थ के संबंध में सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की विवशता के बन्धन में बँधी हुई है। कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर और कहीं अपने स्वामित्व की शक्ति से लाभ उठाकर उसे इतना अधिक परावलम्बी बना दिया है कि वह उसकी सहायता के बिना संसार-पथ पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती। रूस में कन्याओं को बचपन से ही कृषि कार्य या अन्य कार्यों में लगा दिया जाता था।

पिता के घर के बाद उसे पति के घर में भी अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती थी इसके बाद भी उसे प्रशंसा नहीं बल्कि उपेक्षा ही प्राप्त होती थी। रूस की कृषक वर्ग की पारिवारिक परवशता का चित्रण करते हुए स्तालिन कहते हैं कि शादी होने के पहले परिवार के काम करने वालों में उसका स्थान पहला था। वह अपने पिता के लिए काम करती थी और एड़ी-चोटी का पसीना एक करने के बाद भी पिता के यही शब्द उसे सुनने को मिलते थे मैं तुम्हारा पालन कर रहा हूँ।' शादी होने के बाद वह अपने पति के लिए काम करती थी और उसके बदले पुरस्कार में उसे पति से यही शब्द सुनने को मिलते थे मैं तुम्हारा पालन कर रहा हूँ। ऐसी मानसिकता रखने वाले पुरुष ने स्त्री को केवल घर के कार्यों तथा बŭचों के पालन-पोषण तक सीमित कर दिया तथा घर एवं बŭचों के लिए धन कमाना स्वयं के कर्तव्य में शामिल कर लिया क्योंकि अर्थ आधिपत्य से वह ताकतवर बन सकता था। "अर्थ सदा से शक्ति का अन्ध अनुगामी रहा है जो अधिक सबल था उसने सुख के साधनों का प्रथम अधिकारी अपने आपको माना और अपनी इŭछा और सुविधा के अनुसार

ही धन का विभाजन करना कर्तव्य समझा।'' धन की इस भेदभावपूर्ण नीति ने पुत्र को तो पिता की समस्त संपत्ति का अधिकारी बना दिया जबकि पुत्री को केवल विवाह के अवसर पर कुछ धन दहेज देकर अपने कर्तव्य से इतिश्री पा ली।

महादेवी स्त्री की सामाजिक छवि न बनने के पीछे इसी संपत्ति के असमान वितरण को एक बड़ा कारण मानती हैं। इस स्थिति का वे और अधिक विश्लेषण करती हैं अर्थ सामाजिक प्राणी के जीवन में कितना महत्व रखता है यह कहने की आवश्यकता नहीं। इसकी उ%छृंखल बहुलता में जितने दोष हैं वे अस्वीकार नहीं किए जा सकते, परन्तु इसके नितान्त अभाव में जो अभिशाप हैं वे भी उपेक्षणीय नहीं। विवश आर्थिक पराधीनता अज्ञात रूप से व्यक्ति के मानसिक तथा अन्य विकास पर ऐसा प्रभाव डालती रहती है जो सूक्ष्म होने पर भी व्यापक तथा परिणामतः आत्मविश्वास के लिए विष के समान है। किसी भी सामाजिक प्राणी के लिए ऐसी स्थिति अभिशाप है जिसमें वह स्वावलंबन का भाव भूलने लगे, क्योंकि इसके अभाव में वह अपने सामाजिक व्यक्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता।

स्त्रियों में स्वावलंबन का भाव लाने के लिए वे उनमें आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करने के पक्ष में हैं। इससे उनका शारीरिक और मानसिक शोषण रोकने में भी काफी हद तक कामयाबी हासिल होगी क्योंकि 'असहाय होने का भाव ही उसके शोषण के लिए जिम्मेदार है। समाज के तथाकथित कर्णधारों को भविष्य की स्थिति के प्रति सचेत करते हुए वे कहती हैं

समाज यदि स्वे%छा से उसके अर्थसंबंधी वैषम्य की ओर ध्यान न दे उसमें परिवर्तन या संशोधन को आवश्यक न समझे तो स्त्री का विद्रोह दिशाहीन आँधी जैसा वेग पकड़ता जाएगा और तब तक निरन्तर ध्वंस के अतिरिक्त समाज उससे कुछ और न पा सकेगा। ऐसी स्थिति न स्त्री के लिए सुखकर है न समाज के लिए सृजनात्मक। महादेवी भेदभाव के कारण स्त्री के मन में कुलबुलाते क्यों और कैसे संबंधी प्रश्नों को पहचान गई थीं कि समाज में स्त्री के प्रति दोयम दर्जे की सोच के कारण स्त्री से हर विषय पर चुप रहने की अपेक्षा की जाती है। उसके मन में उठने वाले प्रश्नों को सख्ती से दबा दिया जाता है। धीरे-धीरे इसी चुप्पी को उसकी नियति मान लिया जाता है। इस स्थिति को सोवियत रूस ने वर्षों पहले पहचान लिया था और कानून ने स्त्री को अधिकार प्रदान किए।

भारतीय संविधान में भी व्यक्ति को, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री समान कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। महादेवी स्त्री को अधिकारों तथा कर्तव्यों का बोध करवाकर उसे विकास की स्थितियाँ प्रदान करने की पैरवी करती हैं। स्त्री को समाज का एक 'नागरिक' मानती हुई वे उसके अधिकारों को रेखांकित करती हैं - नागरिक शब्द से केवल नगर-निवासी का बोध न होकर न्याय और कानून संबंधी

अनेक अधिकार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त व्यक्ति का ज्ञान होता है। व्यक्ति सामूहिक विकास को दृष्टि में रखते हुए शासित भी होता है और शासन में हस्तक्षेप तथा परिवर्तन करने का अधिकारी भी। अतः उससे राजनीतिक अधिकार पृथक नहीं किए जा सकते। यदि कर लिए जाएँ तो समाज में उसका वही मूल्य होगा जो किसी मूक पशु का होता है।"8 लेकिन जब कानून मनुष्य के इन्हीं अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हो तो समाज विकास की ओर नहीं बल्कि ह्रास की ओर अग्रसर होता है

कानून हमारे स्वत्वों की रक्षा का कारण न बनकर चीनियों के काठ के जूते की तरह हमारे ही जीवन के आवश्यक तथा जन्मसिद्ध अधिकारों को संकुचित बनाता जा रहा है। संपत्ति के स्वामित्व से वंचित असंख्य स्त्रियों के सुनहले भविष्यमय जीवन कीटाणुओं से भी तुŭछ माने जाते देख कौन सहृदय रो न देगा। स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मनुष्य को स्थायित्व प्रदान करता है, आर्थिक अधिकार उसके मन में उठने वाली दुविधाओं को समाप्त करते हैं। विश्व की आधी आबादी यानि स्त्री जाति को यदि उसकी दीन-हीन स्थिति से मुक्ति दिलानी है तो उसे जीने का अधिकार प्रदान करना होगा। एक ऐसा अधिकार जो अर्थशक्ति के बल पर अधिक प्रभावी होगा और यह प्रभावोत्पादकता उसकी समस्त पीड़ाओं का नाश करने में सक्षम होगी।

महादेवी स्त्री को उसके आर्थिक अधिकार दिलाने की इŭछुक हैं क्योंकि जब तक स्त्री अपनी 'बेचारगी' का रोना रोती रहेगी तब तक भले ही उसे दूसरों से थोड़ी-बहुत सांत्वना मिल जाए लेकिन उसे अधिकार नहीं मिल पाएंगे जिनका मिलना उसके व्यक्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। उसे अपना यह भ्रम मिटाना होगा कि पुरुष उसके त्याग का सम्मान करेगा, जबकि सत्य तो यह है कि ऐसी निष्क्रियता का क्या लाभ? केवल अधिकार प्राप्ति की भावना ही उसे पुरुष के समकक्ष लाकर खड़ा कर सकती है। समाज में स्त्रियों को उनकी अस्तित्वहीनता का बोध करवाकर उन्हें झकझोरते हुए महादेवी कह उठती हैं परन्तु इतनी अधिक सहनशक्ति ऐसा अप्रतिम त्याग और ऐसा अलौकिक साहस देखकर भी देखने वाले के हृदय में यह प्रश्न उठे बिना नहीं रहता कि क्या वे विभूतियाँ जीवित हैं।

यदि सजीवता न हो, विवेक के चिह्न न हों तो इन गुणों का मूल्य ही क्या है? क्या हमारे कोल्हू में बैल कम सहनशील हैं कम यंत्रणाएं भोगता है? शव हमारे द्वारा किए गए किसी अपमान का प्रतिकार नहीं कर सकता, सब प्रकार के आघात बिना हिले-डुले शांति से सह सकता है। हम चाहे उसे अतल जल में बहाकर मगरमŭछ के उदर में पहुँचा दें, चाहे चिता पर लिटाकर राख करके हवा में उड़ा दें परन्तु उसके मुख से न निश्वास निकलेगी, न आह, न निरन्तर खुली पथराई आँखों में जल आवेगा न अंग कम्पित होंगे। परन्तु क्या हम उसकी निष्क्रियता की प्रशंसा कर सकेंगे ऐसी

निष्क्रियता का क्या लाभ जिसमेंएक हाड-माँस की स्त्री स्वयं को मिट्टी के बुत में परिवर्तित करने पर तुली हो।

यदि कोई भी मनुष्य प्रकृति प्रदत्त क्षमताओं का विकास करने की बजाए इनको विकसित करने की कोशिश न करे तो वे क्षमताएं धीरे-धीरे लुप्त होनी आरम्भ हो जाती हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया की ऐसी कई जातियाँ जिन्होंने अपनी क्षमताओं का विकास नहीं किया दुनिया से लुप्त हो गयीं। स्त्री को भी यदि समाज में अपनी 'व्यक्ति मनुष्य के रूप में पहचान बनाए रखनी है तो उसे अपने गुणों का विकास करना होगा ताकि समाज में उसके योगदान को याद किया जा सके। महादेवी ने स्वयं इस निष्क्रियता का प्रतिवाद करके नारी को उसका महत्व बताकर उसे एक 'नागरिक' की छवि दिलवाने का प्रयास किया। वे मानती हैं कि जब तक नारी स्वयं स्वतंत्र होने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक वह सभी की उपेक्षा और उपहास का पात्र बनती रहेगी।

निष्कर्ष

समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभानी होती हैं। उनकी भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सामाजिक-सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, अवसंरचनात्मक कारक और क्षमता निर्माण। समाज में महिलाएँ कोचिंग कक्षाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ, परामर्श और मार्गदर्शन, पाठ्येतर गतिविधियाँ, दान देना, गतिविधियों और कार्यों का आयोजन, आपराधिक और हिंसक कृत्यों का उन्मूलन, कुपोषण को दूर करना, बुजुर्गों की देखभाल करना और जानकारी प्रदान करना और जागरूकता पैदा करना। विभिन्न भूमिकाओं में महिलाओं के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनकी वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, घरों का स्थान, शैक्षिक योग्यता, कौशल और क्षमताएँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि और रुचि क्षेत्र। जब वे किसी कार्य और गतिविधि के प्रदर्शन में शामिल होती हैं, तो उनके लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि वे संसाधनों का उचित उपयोग करें, नीतियों का पालन करें और सुनिश्चित करें कि वे उनसे लाभान्वित होने में सक्षम हैं और अपने प्रयासों और कौशल के माध्यम से अपनी भलाई को बढ़ावा दे रहे हैं।

वर्तमान समय में महिलाएँ मुख्य रूप से रोजगार के क्षेत्र में अपनी भागीदारी के माध्यम से समाज की भलाई को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमिकाएँ निभा रही हैं। रोजगार के क्षेत्र में, जब वे अपने कार्य कर्तव्यों का पालन कर रही होती हैं, तो उन्हें पर्याप्त ज्ञान और जागरूकता रखने की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि उनकी भूमिकाएँ संगठनात्मक लक्ष्यों, नौकरी के कर्तव्यों, काम करने के माहौल की स्थितियों, संगठन के अन्य सदस्यों, वेतन और प्रतिपूर्ति, कौशल और योग्यता, प्रभावी

संचार प्रक्रियाओं, प्रबंधकीय कार्यों, निर्णय लेने और टीम वर्क से प्रभावित होती हैं। समाज के भीतर भूमिकाएँ भुगतान या मानद आधार पर निभाई जाती हैं। जब महिलाएँ गृहिणी होती हैं और उनके पास खाली समय होता है, तो वे मानद आधार पर सामाजिक कार्य गतिविधियों के कार्यान्वयन में शामिल होती हैं। जबकि, जब महिलाएँ विभिन्न प्रकार के रोजगारों जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों, प्रशिक्षण केंद्रों, उत्पादन संगठनों, सेवा संगठनों, वित्तीय संस्थानों में लगी होती हैं, तो वे मुख्य रूप से छात्रों या ग्राहकों को ज्ञान प्रदान कर रही होती हैं जो उनके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए, समाज के भीतर महिलाओं की भूमिकाएँ मुख्य रूप से भलाई को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होती हैं।

संदर्भ

[1]. रामानंद, एम. (2012). भारत में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों पर एक विश्लेषण. आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट. 2. 10.9790/487X-0210510.

[2]. शशांक, डॉ. और ठाकुर, शशांक और नाइकू, आसिफ. (2016). भारत में महिला सशक्तिकरण और उनकी सशक्तीकरण योजनाएँ. विज्ञान मानविकी और इंजीनियरिंग में उन्नत अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल. खंड 1. 21-27.

[3]. ईश्वरी, अंगला. (2019). भारत में आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका पर एक अध्ययन. शांलैक्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स. 7. 41-45. 10.34293/economics.v7i4.619.

[4]. कुमार, जे. सुरेश और डॉ. डी. शोभना (2024)। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता का विश्लेषण।

[5]. एस., सहाना और पाटिल, किरण कुमार (2022)। अध्याय -6 महिला सशक्तिकरण सामाजिक परिवर्तन का एक साधन।

[6]. भोगनादम, श्यामला (2014)। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास। एक्सेल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट स्टडीज। खंड 4। 100-107।

[7]. हर्वियास, वेनेसा और रेडुलोविक, ब्रैंको। (2023)। लैंगिक समानता पर सार्वजनिक नीतियां। 10.1007/978-3-031-14360-1_12.

[8]. चनाना, करुणा. (2011). भारत में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नीतिगत विमर्श और बहिष्कार-समावेश. सामाजिक परिवर्तन. 41. 535-552. 10.1177/004908571104100403.

[9]. कोनवर, परानन. (2019). भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में महिला सशक्तिकरण. SSRN इलेक्ट्रॉनिक जर्नल. 10.2139/ssrn.3380851.

[10]. अख़्तर अली, मोहम्मद और कामराजू, एम. (2023). ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका. 02. 67-84.

[11]. अय्यनार, शिवकुमार. (2016). महिला सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में लिंग मुख्यधारा में लाना. 9. 53-59.

[12]. टेक्सेरा, डायने और जूनियर, कैंडिडो और सेवेरो डी अल्मेडा, मार्कोस। (2023)। लैंगिक नीतियों और महिलाओं द्वारा व्यवसायों के निर्माण के बीच संबंध। REGEPE उद्यमिता और लघु व्यवसाय जर्नल। 12. 10.14211/regepe.esbj.e2438.

[13]. अशरफ, गजाला. (2020). छत्तीसगढ़ में सरकारी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर एक अध्ययन.

[14]. शेट्टेपनवर, बसवराज. (2016). महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका. जर्नल ऑफ इंटरनेशनल एकेडमिक रिसर्च फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी. 4. 203-209.